



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092024-257214
CG-DL-E-18092024-257214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3622]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2024/भाद्र 27, 1946

No. 3622]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2024/BHADRA 27, 1946

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2024

का.आ. 3961(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग तथा 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ऑरोविल फाउंडेशन (PAN: AAATA0037B) को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग तथा 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनार्थ 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्था' की श्रेणी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान हेतु 'अन्य संस्था' के तौर पर अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी (अर्थात् पूर्व वर्ष 2024-25 से) तथा तदनुसार निर्धारण वर्षों 2025-26 से 2029-30 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं.102/2024/फा. सं. 203/12/2024/आईटीए-II]

कास्तो जयप्रकाश टी.,अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।